भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 4662

31 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए

लैंड पूलिंग

4662. **श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी**:

श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लैंड पूलिंग को अनिवार्य बनाने के लिए संशोधन किए हैं/नए बदलाव प्रस्तावित किए हैं और इन परिवर्तनों का उद्देश्य दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) योजना के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करना है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस संबंध में विभिन्न हितधारकों से लिए गए सुझावों पर क्या विचार किया गया है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के साथ परामर्श करने के बाद, सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें दिल्ली में लैंड पूलिंग नीति के उचित कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए लैंड पूलिंग की अनिवार्यता शामिल है। यद्यपि, सरकार ने इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।